से बन्द कर दिया गया था । अब प्लांट के शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ करने की आशा है ।

(ख) प्लांट के खराब होने के कारणों की स्वतंत्र रूप से जांच की गई थी इस जांच से यह पता लगा है कि यह खराबी किसी भी प्रकार से प्लांट प्रबन्धकों के नियंत्रण में नहीं थी और न ही किसी की लापरवाही के परिणामस्वरूप यह हुआ है । एक माह की सामान्य मरम्मत की अवधि को छोड़कर शेष दो महीनों के दौरान अनिश्चित खराबी के कारण उत्पादन में लगभग 15.000 टन नाइट्रोजन की हानि का अनुमान लगाया गया है जो लगभग 32·600 टन यूरिया के बराबर है ।

(ग) प्लांट की दैनिक उत्पादन क्षमता 1000 टन यूरिया की है ।

पूर्वोत्तर तथा उत्तर रेलवे मे स्टेशनों को बिजली

8710. **श्री फिरंगी प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे तथा उत्तर रेलवे के इन स्टेशनों के नाम क्या हैं जिन पर विचाराधीन उप बिजली घर नहीं है जिनके अभाव में वहां सम्बन्धित राज्यों द्वारा समय समय पर निष्पादित बिजली के वितरण के अनुसार बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है जिसके फलस्वरूप अंधेरे के कारण गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, यात्रियों को लूट लिया जाता है और हत्यायें हो जाती हैं ;

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करेगी तथा इसके लिये किये गये सुरक्षात्मक उपायों का ब्यौरा देगी ; और

(ग) क्या रेलवे का विचार ऐसे स्टेशनों पर रोशनी की उचित व्यवस्था हेतु बिजली की नियमित सप्लाई के लिये अपने निजी बिजली केन्द्र स्थापित करने का है ?

रेल मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण):(क) विभाग के अन्तर्जगत बिजली सब स्टेशन (पावर हाउसों) के अभाव में अनियमित बिजली की सप्लाई से प्रभावित होने वाले पूर्वोत्तर और उत्तर रेलवे के स्टेशनों के नाम क्रमश: विवरण–I और II में दिये गये हैं जो सभा पटल पर रख दिये गये हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल टी—2220/78] । उन स्टेशनों की बिजली सामान्यत: सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों से खरीदी जाती है । देश में बिजली की आम कमी के कारण, बिजली का संकट बढ़ गया है जिसके कारण राज्य बिजली बोर्डों को पावर के रोस्टर रखने पड़ते हैं तथा पावर में बार-बार अनियमित अवरोध भी उत्पन्न हो जाते हैं । इस प्रकार के बिजली फेल होने/अवरोधों से निपटने के लिए रेलवे ने गाड़ी परिचालन की अनिवार्यत: आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण स्टेशन पर सहायक डीजल जनित्र सेटों की व्यवस्था की है ।

(ख) रेलवे स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के निर्देशों के आधार पर की गयी है ।

(i) स्टेशन पर कम से कम एक जोड़ी रात्रि की गाड़ियां ठहरनी चाहिए ।

(ii) स्टेशन का, विशेषकर रात्रि की गाड़ियों से चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों की संख्या के संबंध में वाणिज्यिक महत्व होना चाहिए ।

(iii) स्टेशन पर बिजली लगाने के लिए सम्बन्धित बिजली बोर्डों के देय दर और सेवा संयोजन प्रभार उचित होने चाहिए ।

महत्वपूर्ण स्टेशनों पर, सामान्यत: गाड़ी परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सहायक डीजल जनित्र सेटों की भी व्यवस्था की जाती है ।

राज्य सरकारों के नियंत्रण के अन्तर्गत कार्यरत सरकारी रेलवे पुलिस को यात्रियों की सुरक्षा और उनके सामान की सुरक्षा के काम का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है । रेल प्राधिकारी राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट समन्वय और संपर्क बनाये रखते हैं । जब कभी यात्रियों की सुरक्षा को प्रभावित करने से सम्बन्धित गतिविधियां बढ़ती हैं, इस ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाया जाता है । अभी हाल में, रेल मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था । उनका सहयोग उत्साह-वर्धक है ।

(ग) रेलवे स्टेशनों पर रोशनी की व्यवस्था के लिए नियमित बिजली सप्लाई हेतु रेलों के अपने निजी बिजली घरों (पावर हाउसों) को लगाने के प्रस्ताव नहीं हैं, क्योंकि लागत निषेधात्मक है । फिर भी, बिजली वाले महत्वपूर्ण स्टेशनों पर गाड़ियों के परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायक डीजल जनित्र सेटों की व्यवस्था की जाती है ।

Resolution passed by Bar Association of Goa for setting up of a High Court Bench

8711. SHRI AMRUT KASAR: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government are aware of the unanimous resolution recently passed by the Bar Association of Goa, Daman and Diu to extend the Bench of Bombay High Court to the Union Territory of Goa;

(b) whether Government is thinking to extend the Bench of Delhi High Court to Goa as appeared in the Times of India dated 6th April, 1978; and

(c) what is the decision of the Government with regard to the resolution passed by the Bar Association of Goa, Daman and Diu to extend the Bench of Bombay High Court?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) The Advocates Association of Goa have been representing that a High Court be set up for the Union Territory of Goa, Daman and Diu and that pending the establishment of a High Court a Bench of the High Court of any other State be established at Goa. The Goa Administration have intimated the receipt of a resolution dated 27-3-1970 from the Advocates' Association of South Goa indicating its preference for a Bench of the High Court in the following order:—

(i) Bench of the Bombay High Court; or

(ii) Bench of the Delhi High Court; or

(iii) Bench of Karnataka High Court.

(b) and (c). Government are considering the question of establishing a High Court Bench in Goa.

Ranip—Sabarmati M.G. Railway Station

8712. SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any representation received by the railway authority from